ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

किशनला बनाम हिंगाजी

यायालय

ख्या 108/18 अर्जी

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31.10.2020	पत्रावली प्रस्तुत। वाद-कार्य तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। अतः वाद वादीया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 108/2018 वाद प्रस्तुति दिनांक –20.09.2018

1. बिमला देवी पत्नि गंगाधर जाति बागडा ब्राहम्ण आयु 50 वर्ष निवासी ग्रांम बावडी तहसील व जिला जयपुर।
2. पुष्पा देवी पत्नी गुलाब चन्द जाति बागडा ब्रहम्ण हाल निवासी ग्राम नई कोठी की ढाणी, चौप तहसील आमेर जयपुर।

......वादिनी

बनाम

1. श्रीमती छिगनी देवी पत्नि कानाराम
2. लालाराम }
3. भागीरथ } रामलाल
4. रामकुंवार }

जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. शांति देवी पत्नी मालीराम
6. प्रभू देवी पत्नि गोपाल

जाति मीणा निवासी ग्रांम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।
8. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत ग्रामीण जयपुर।
9. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला उपखण्ड जालसू जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री गोगराज चौधरी – अधिवक्ता वादिनी की ओर से
(2) श्री दिनेश दत्त शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
(3) श्री हीरालाल सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7, 8 व 9 की ओर से

दिनांक 31.10.2025

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं अन्य सह खातेदारो की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 है० वाके ग्रांम राधापुरा पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर वादनी अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वाद पत्र के मद नम्बर में

वर्णित वादनी की भूमि के पूर्वी सीमा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.33 है, खसरा रकबा 1.09 नम्बर 194/498 रकबा 0.39 है, खसरा नम्बर है0, खसरा नम्बर 223 रक़बा 0.17 है कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 1.98 है0 ग्रांम राधापुरा पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रतिवादीगण की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण ने आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर रखी है तथा वादनी से द्वेषता रखता जिससे वादनी को नुकसान पहुँचाने की नियत से केवल वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादनी की भूमि में ही सड़क निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, जिसका कि उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के अधिनस्थ कर्मचारी दिनांक 17.9.2018 को वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा तथा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करने हेतु वादनी की वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के पूर्वी सीमा के अन्दर नाप जोक करने लगे, जिस पर वादनी व उसके परिजनो ने वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा तथा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि की पश्चिमी सीमा पर बराबर–बराबर भूमि पर उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने वादनी व उसके परिजनो को सडक का निर्माण वादनी की भूमि में से एक तरफ ही करने को कहा तथा प्रतिवादीगण केवल वादनी की भूमि में ही सडक निर्माण हेतु नाप जोख़ करने लगे तथा सडक का निर्माण करने पर आमादा हुये जिसका वादनी व उसके परिजनो ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादनी व उसके परिजनो को धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर वादनी की भूमि में ही सडक का निर्माण करके रहेगे, जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण केवल वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादनी की भूमि के पूर्वी सीमा के अन्दर ही उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, इस हेतु जे.सी.बी. आदि यंत्र मौके पर लाकर युद्ध स्तर पर सडक निर्माण करने की कार्यवाही कर रहे है, जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि वादनी की वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा तथा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण की बराबर बराबर भूमि लेकर सडक बनाई जाती है तो वादनी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण ने सडक निर्माण हेतु वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादनी की भूमि को अवाप्त नहीं किया है तथा कोई मुआवजा वादनी को नहीं दिया है तथा वादनी की खातेदारी की भूमि में से बिना अवाप्त किये व बिना मुआवजा अदा किये ही प्रतिवादीगण सडक निर्माण करने पर आमादा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि वादनी की भूमि को बिना अवाप्त किये व बिना मुआवजा अदा किये केवल वादनी की भूमि में सडक का निर्माण किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

वादनी उक्त भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी, जिससे वादनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादिनी गरीब असहाय व महिला है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 प्रशासनिक अधिकारी है, जिनका मुकाबला वादनी बिना मान्य न्यायालय की सहायता के करने में असमर्थ है, जिससे वादनी के पास मान्य न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, जिससे वादनी मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादनी की भूमि की पूर्वी सीमा तथा वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित प्रतिवादीगण की भूमि की पश्चिमी सीमा पर दोनो ओर बराबर–बराबर भूमि पर उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करे अन्यथा केवल वादनी की वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा के अन्दर सडक निर्माण नहीं करे करावे तथा केवल वादनी की भूमि में से भूमि अवाप्त किये बिना और वादनी को मुआवजा अदा किये बिना सडक का निर्माण नहीं करे करावे तथा केवल वादनी की वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा के अन्दर सडक आदि का निर्माण नहीं करे करावे तथा वादनी को जबरन बेदखल नहीं करे करावे तथा वादनी को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। दायरी दावे से पूर्व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत सूचना पत्र दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन उक्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का व केवल स्थायी निषेधाज्ञा का है यदि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को उक्त सूचना पत्र दिया जाता है तो वादनी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जावेगा, जिससे वादनी को उक्त सूचना पत्र बाबत छूट प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है. जिससे वादनी को उक्त सूचना पत्र बाबत छूट प्रदान की जावे। वाद में विवादमूल दिनांक 17.9.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 4 में वर्णितानुसार अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने से उत्पन्न होकर निरन्तर उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । वाद में विवादमूल स्थल, विवादग्रस्त सम्पत्ति स्थल मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद पत्र को सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है ।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर [illegible] दावा पेश कर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कर अंकित किया कि खसरा नम्बर [illegible] हैक्टेयर, वाके ग्राम राधापुरा, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खातेदार वादीया बिमला देवी, लालाराम, भा[illegible]थ, रामकुमार, प्रभूदेवी, विनोद कुमार मीणा, राजेन्द्र मीणा, सुरेश मीणा, मनोज उर्फ दिनेश व रतनलाल मीणा संयुक्त रूप से खातेदार है। उक्त खसरा में प्रतिवादी संख्या 5 शान्ति देवी खातेदार नहीं है। वादीया ने उक्त खसरा में संयुक्त खातेदार विनोद मीणा, राजेन्द्र मीणा, सुरेश मीणा, रतनलाल मीणा, मनोज उर्फ दिनेश

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

…णा को पक्षकार नहीं बनाया है। यहाँ यह वर्णित करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादीया संख्या 5 शान्ति देवी उक्त खसरा नम्बर 193 की खातेदार नहीं है, उसके बावजूद भी उसे गलत रूप से पक्षकार बनाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया है और वास्तविक खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए वादीया का प्रार्थना–पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन व असंयोजन के कारण प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीया खसरा नम्बर 193 की अकेली खातेदार नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण के अलावा अन्य भी सह खातेदार है जिन्हें वादीया ने पक्षकार नहीं बनाया है। साथ ही साथ उक्त खसरा नम्बर का तकासमा भी वादीया द्वारा नहीं करवाया गया है। वादीया उक्त खसरे में संयुक्त खातेदार है। वादीया के अलावा अन्य सभी खातेदारों द्वारा उक्त कंकरीट सडक पर डामर डाले जाने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनके द्वारा आमसहमति पत्र निष्पादित कर राज्य सरकार के कार्य में सहयोग करने का वचन दिया है। वादीया को उक्त सडक पर डामर डालने के कार्य को रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया ने बिना अधिकार के उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो प्रारम्भिक दृष्टि से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि खसरा नम्बर 193 व 194 तथा 195 की सीमा पर पूर्व में बनी हुई कंकरीट रोड पर डामर बिछाया जा रहा है। ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसु जिला जयपुर ने कार्य स्वीकृति कमांक 400/2010 दिनांकित 29.04.2010 के अनुसार दिनांक 17.05.2010 से दिनांक 16.09.2011 तक उक्त कंकरीट रोड का नरेगा योजना के तहत निर्माण करवाया था और तभी से पक्षकार व अन्य ग्रामवासी उक्त सडक का आने–जाने में उपयोग–उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 द्वारा वर्तमान में किसी भी नई सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि नरेगा कार्य योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई कंकरीट रोड पर डामर बिछाने का कार्य राज्य सरकार के आदेश से किया जा रहा है जो आमजन की सुविधा के लिये है, जिसका उपयोग–उपभोग पक्षकारों के अलावा ग्राम राधापुरा व ग्राम पंचायत राधानकिशनुपरा के अन्तर्गत आने वाले व अन्य गांव के लोगो द्वारा भी किया जावेगा जो आमजन की सुविधा के लिये है। उक्त रोड राधाकिशनपुरा से राधापुरा होते हुये जयसिंहपुरा को जोडती है और उससे आगे भी रायथल होते हुये रेनवाल चौमू स्टेट हाईवे को मिलाती है, जिसका डामरीकरण होना आमजन की सुविधा के लिये आवश्यक है। वर्तमान में किसी भी नई सडक का निर्माण नहीं किया जा रहा है इसलिए वादीया को कोई वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण वादीया का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा द्वारा नरेगा योजना के तहत बनाई गई कंकरीट रोड का अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 द्वारा डामरीकरण किया जा रहा है अर्थात आम जनता के लिये कंकरीट रोड को सुविधा की दृष्टि से डामर रोड के रूप में तब्दील किया जा रहा है। वादीया आम जनता के आने जाने के रास्ते को भी बन्द करवाने के लिये वाद पेश किया है जिससे आमजन व प्रतिवादीगण को असुविधा होगी जो न्याय की मंशा नहीं है। आम रास्ते को रोके जाने से

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

तिवादीगण आमजन के सुखाधिकार पर कुठाराघात महंगा इसलिए वादीया का वाद प्रारम्भिक ौर पर ही खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 आज किसी नई सडक का निर्माण नहीं कर रहे है बल्कि पूर्व में पक्षकारों की सहमति से नरेगा योजना में बनाई गई सडक पर ही डामर डालने का कार्य कर रहे है, जो सभी खातेदारों व ग्रामवासियों के लिये सुविधाजनक व लाभप्रद है। सन् 2010 में पंचायत राधाकिशनपुरा द्वारा नरेगा योजना में उक्त रोड़ का निर्माण कर अच्छी खासी धनराशि सरकार द्वारा खर्च की जा चुकी है, यदि उक्त कंकरीट रोड पर डामर न डालकर नई सकड बनाई जाती है तो दुबारा से सडक बनाने के लिये कंकरीट रोड बनानी पडेगी जिससे काफी अधिक धनराशि राजकोष से खर्च होगी और सरकार को राजकोष में नुकसान होगा जो न्याय की मंशा नहीं है। उक्त सडक पर डामर नहीं डाला जाता है तो राज्य सरकार द्वारा पारित बजट लेप्स हो जायेगा। सडक पर डामरीकरण न होने से सभी काश्तकारों व आमजन को असुविधा होगी इसलिए वादीया का वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण संख्या 7, 8 व 9 की ओर से जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद संख्या 1 मे वादिनी का यह वर्णित करना कि "वादिनी व प्रतिवादीगण सः 2 ता 4 एवं अन्य सहखातेदारो की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर वाके ग्राम राधापुरा भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित होने" का कथन वादिनी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि भूमि खसरा नं. 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर वाके ग्राम राधापुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में अवस्थित है जिसमे मौके पर ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू जिला जयपुर ने कार्य स्वीकृति क्रमांक 400/2010 दिनांकित 29.04. 2010 के अनुसार दिनांक 17.05.2010 से दिनांक 16.09. 2011 तक उक्त कंकरीट रोड का नरेगा योजना के तहत निर्माण किया हुआ है। मौके पर पक्षकार व अन्य ग्रामीवासी उक्त सडक का आने जाने, साधन लाने ले जाने का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वाद पत्र का मद सं. 2 मे वादिनी का यह वर्णित करना कि "वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित वादिनी की सीमा के पूर्वी दिशा की ओर प्रतिवादीगण स. 1 ता 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 194 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नं. 194/498 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नं. 195 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नं. ... रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर ग्राम राधापुरा, ... राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर हाल तहसील जालसू मे स्थित होना राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत होकर कथन वादीनी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। वाद पत्र की मद सं. 3 मे वादिनी का यह वर्णित करना कि "प्रतिवादीगण की नियत मे कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण ने आपस में मिलीभगत कर नाजायज सांठ गांठ कर रखी है तथा वादिनी से द्वेषता रखता है जिससे वादिनी को नुकसान पहुंचान की नियत से केवल वाद पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी की भूमि मे ही सडक निर्माण करने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हे किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही है। का कथन गलत है अस्वीकार है। मन प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग विधि अनुसार कार्य करता है, यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि खसरा नं. 193, 194, 195 की सीमा पर पूर्व मे बनी हुई कंकरीट रोड पर डामर बिछाने का कार्य किये जाने पर उक्त कार्य को रोकने के आशय से लोकहित के विरूद्ध हस्तगत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, मन प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई सांठ गांठ नही कर रखी, न ही मन प्रतिवादीगण की नियत मे कोई बेईमानी है, मन प्रतिवादीगण द्वारा मात्र पूर्व से संचालित रास्ते के ऊपर डामरीकरण करने की योजना मात्र को विफल करने के आशय से समस्त तथ्य वादिनी द्वारा गलत रूप से वर्णित किये हैं। वाद पत्र की मद सं. 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। भूमि खसरा नं. 193, 194, 195 पूर्व में बनी हुई कंकरीट रोड जो नरेगा योजना के तहत निर्मित थी पर मात्र डामरीकरण करने का कार्य प्रारंभ करने पर वादिनी द्वारा विवाद करने पर डामरीकरण का कार्य नही हो सका। भूमि खसरा नं. 193, 194, 195 की सीमा पर नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू के द्वारा स्वीकृत कार्य कंकरीट रोड का निर्माण किया हुआ था तथा ओर पक्षकार व अन्य ग्रामवासी उक्त सडक का आने जाने आदि के उपयोग उपभोग मे कर रहे होने के कारण लोकहित मे मन प्रतिवादीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मात्र उक्त बनी हुई व चालू कंकरीट रोड पर मात्र डामर बिछाने का कार्य किया जाने पर वादिनी द्वारा अन्य प्रतिवादीगण से मिलीभगत करते हुए हस्तगत दावा प्रस्तुत करते हुए हस्तगत मद मे गलत तथ्य वर्णित किये गये हैं। प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020 पत्रावली के रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमे भी खसरा नं. 193 पर मोके पर रोड बनी हुई होने का तथ्य अंकित किया गया है। वाद पत्र का मद सं. 5 मे वादिनी का यह वर्णित करना कि "प्रतिवादीगण केवल वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित वादिनी की भूमि के पूर्वी सीमा के अंदर ही उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है इस हेतु यंत्र भी मोके पर लाकर युद्धस्तर पर सडक निर्माण करने की कार्यवाही कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है" का कथन गलत है अस्वीकार है। खसरा नं. 193, मे पूर्व से ही नरेगा योजना के तहत कंकरीट रोड दावा दायरी से पूर्व ही बनी हुई है जिसका ग्रामवासी व अन्य आमजन उक्त सडक का पूर्णरूप से उपयोग उपभोग कर रहे है, मन प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में किसी भी सडक का निर्माण कार्य नही किया जा रहा है, अपितु नरेगा कार्य योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई कंकरीट रोड पर डामर बिछाने का कार्य प्रारंभ किये जाने पर वादिनी ने विवाद कर हस्तगत दावा प्रस्तुत कर दिया, जिससे पूर्व से संचालित रोड पर डामरीकरण का कार्य नही किया जा सका। वादिनी का इस मद में यह वर्णित करना कि जब भी वादिनी की वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा तथा वाद पत्र के मद सं. 2 में वर्णित भूमि की पश्चिमी सीमा पर दोनो ओर की बराबर भूमि लेकर सडक बनाई जाती है

सहायक कलक्टर
जालसू, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी को उसमे कोई आपत्ति नही है का कथन गलत है अस्वीकार है। मौके पर पूर्व से नरेगा योजना के तहत कंकरीट सडक निर्मित है तथा मौके पर उक्त कंकरीट रोड से आमजन का आवागमन संचालित है जहां से मात्र मन प्रतिवादी द्वारा डामरीकरण का कार्य किये जाने की योजना है। वाद पत्र का मद सं. 6 मे वादिनी का यह वर्णित करना कि "प्रतिवादीगण ने सडक निर्माण हेतु वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित वादिनी की भूमि को अवाप्त नही किया है तथा कोई मुआवजा वादिनी को नहीं दिया है" का कथन वादिनी सक्षम साक्ष्य से साबित करे, शेष कथन जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। ग्राम पंचायत राधापुरा, पंचायत समिति जालसू के द्वारा पूर्व मे स्वीकृत नरेगा योजना के तहत खसरा नं. 193 की सीमा पर कंकरीट रोड का निर्माण किया हुआ है जिससे ग्रामवासी व आमजन आते जाते हैं जिस पर मात्र मन प्रतिवादी द्वारा डामरीकरण का कार्य किये जाने को रोकने के आशय से हस्तगत प्रकरण लोकहित के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। मोके पर बनी हुई कंकरीट रोड पर वादिनी का कोई कब्जा उपयोग उपभोग नही है अपितु उक्त कंकरीट रोड का आमजन सार्वजनिक रास्ते के काम में उपयोग उपभोग ले रहे हैं, कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नही है। वाद पत्र का मद सं. 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। मौके पर कंकरीट रोड बनी हुई है, मन प्रतिवादी द्वारा कोई नयी सडक का निर्माण नही किया जा रहा, मात्र कंकरीट रोड पर डामरीकरण का कार्य मन प्रतिवादी द्वारा किये जाने की योजना को निष्फल करने के आशय से हस्तगत दावा प्रस्तुत किया गया है, मौके पर रास्ता आमजन के काम में आ रहा है जिस कारण लोकहित में मात्र पूर्व से चालू कंकरीट रोड पर डामरीकरण का कार्य किया जाना शेष है जिस कारण लोकहित मे किये जा रहे कृत्य के विरूद्ध वादिनी मन प्रतिवादी के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की हक अधिकारिणी नही है, ना ही ऐसा किया जाना तथ्यो व परिस्थितियो के मध्यनजर न्यायहित में है। वाद पत्र की मद सं. 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। वादिनी द्वारा मन प्रतिवादीगण को दावा दायरी से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने का कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कोई नोटिस मन प्रतिवादी को नही दिया गया है, प्रकरण मे दावा दायरी से पूर्व ही प्रश्नगत सम्पति पर पूर्व से ही कंकरीट रोड नरेगा योजना के तहत निर्मित व चालू है जिस पर मात्र डामरीकरण का कार्य नही किये जाने के उद्देश्य से लोकहित के विरूद्ध हस्तगत दावा बिना किसी अर्जेन्ट नेचर के प्रस्तुत किया गया है। धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने की कानूनन छूट प्राप्त नही की जा सकती। वाद पत्र की मद सं. 9 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र मे वादिनी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से कंकरीट रोड निर्मित व चालू है तथा आमजन का आवागमन हो रहा है के वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए बिना वाद कारण उत्पन्न हुये हस्तगत दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद सं. 10 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कानूनी है न्यायालय श्रीमान स्वयं गौर फरमावे, यहां उल्लेखित किया जाना आवयश्क है कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत भूमि पर दावा दायरी से पूर्व से ही कंकरीट रोड नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू द्वारा स्वीकृत कर निर्मित करवायी है तथा मौके पर आवागमन चालू है, वादिनी द्वारा मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर विना कब्जे के मौके पर निर्मित कंकरीट रोड व चालू रास्ते पर डामरीकरण नही किये जाने के आशय से हस्तगत दावा प्रस्तुत किया है जो लोकहित के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद सं. 11 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कानूनी है न्यायलय श्रीमान स्वयं गौर फरमावे । वाद पत्र की मद सं. 12 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कानूनी है न्यायलय श्रीमान स्वयं गौर फरमावे। वाद पत्र का मद सं. 13 व अनुतोष खण्ड (1), (2), (3) जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है, कानूनन न्यायहित में वादीया जवाब दावे मे वर्णित तथ्यो एवं परिस्थितियो के मध्यनजर उक्त अनुतोष लोकहित के विरूद्ध होने से प्राप्त करने के अधिकारी नही है, न ही ऐसा किया जाना तथ्यो एवं परिस्थितियो के मध्यनजर न्यायहित में है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि. वाद वादीनी, मन प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज किये जाने का आदेश फरमाये।

प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा एवं दस्तावेजो अनुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर ग्राम राधापुरा वादनी की भूमि की पूर्वी सीमा तथा प्रतिवादी 1 ता. 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 194/498, 195, 223 कुल रकबा 1.98 ग्राम राधापुरा की भूमि की पश्चिमी सीमा पर दोनों ओर बराबर–बराबर भूमि पर उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करे अथवा केवल वादिनी के खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 की पूर्वी सीमा के अन्दर सडक निर्माण नहीं करें?
......वादिनी

2. आया वादिनी की भूमि मे से भूमि अवाप्त किये बिना और वादिनी को मुआवजा अदा किये बिना सडक का निर्माण नहीं करावें?
.....वादिनी

3. आया वाद में प्रतिवादी संख्या 5 शान्ति देवी खसरा नम्बर 193 की खातेदार नहीं है जबकि वास्तविक खातेदार बिमला देवी, लालाराम, भागीरथ, रामकुमार, प्रभूदेवी, विनोद, राजेन्द्र, सुरेश, मनोज उर्फ दिनेश, रतन संयुक्त खातेदार है इसलिये वादीया का पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण वाद प्रथम दृष्ट्या खारिज होने योग्य है?
.......प्रतिवादी–1

4. आया नई सडक का निर्माण नहीं किया जा रहा है पूर्व में निर्मित सडक पर कंकरीट, डामर का कार्य किया जा रहा है। इसलिए वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण वाद पत्र खारिज होने योग्य है?
....प्रतिवादी–1

5. आया खसरा नम्बर 193, 194, 195 वाके ग्राम राधापुरा तहसील जालसू में मौके पर ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू जयपुर में कार्य स्वीकृति क्रमांक 400/2010 दिनांकित 29.04.2010 के अनुसार दिनांक 17.05. 2010 से दिनांक 16.09. 2011 तक कंकरीट रोड का नरेगा योजना के तहत निर्माण किया हुआ है। उक्त का केवल डामरीकरण कार्य प्रारंभ करने पर वाद प्रस्तुत किया है इसलिए बिना वाद कारण वाद खारिज किया जावें?

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

...प्रतिवादी–7. 8. 9

6. आया मिन प्रतिवादी को 80 सी.पी.सी. का नोटिस देने कानूनन मेन्डेटरी (अनिवार्य) है। जो कि वादी ने नहीं दिया है, अतः वाद खारिज होने योग्य है ?

.......प्रतिवादी 7. 8. 9

7. आया वादिनी द्वारा मौके पर बिना कब्जे के कंकरीट रोड व चालू रास्ते पर डामरीकरण रोकने के उद्देश्य से वाद पत्र पेश किया है जबकि लोकहित के विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है?

...प्रतिवादी–7. 8. 9

8. अनुतोष

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 पुष्पा देवी पत्नी गुलाब चंद जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, हाल निवासी ग्राम राधापुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
2. PW2 सबिमला देवी पत्नी गंगाधर जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बावडी, तहसील व जिला जयपुर।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2073–2076 प्रदर्श–2 फोटोकॉपी नक्शा प्रदर्श–3 फोटोकॉपी जमाबंदी सवंत 2073–2076 पेश किया।

उभयपक्ष अधिवक्ताण की बहस सुनी गई तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

1. आया प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर ग्राम राधापुरा वादनी की भूमि की पूर्वी सीमा तथा प्रतिवादी 1 ता. 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 194/498, 195, 223 कुल रकबा 1.98 ग्राम राधापुरा की भूमि की पश्चिमी सीमा पर दोनों ओर बराबर–बराबर भूमि पर उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करे अथवा केवल वादिनी के खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 की पूर्वी सीमा के अन्दर सडक निर्माण नहीं करें?

......वादिनी

2. आया वादिनी की भूमि मे से भूमि अवाप्त किये बिना और वादिनी को मुआवजा अदा किये बिना सडक का निर्माण नहीं करावें?

.....वादिनी

तनकी संख्या 1 लगायत 2 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादीया ने उक्त तनकीयात को साबित करने के लिए साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2073–2076 प्रदर्श–2 फोटोकॉपी नक्शा प्रदर्श–3 फोटोकॉपी जमाबंदी सवंत 2073–2076 पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी ने अनुतोष चाह गया है कि प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर ग्राम राधापुरा वादनी की भूमि की पूर्वी सीमा तथा प्रतिवादी 1 ता. 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 194/498, 195, 223 कुल रकबा 1.98 ग्राम राधापुरा की भूमि की पश्चिमी सीमा पर दोनों

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

और बराबर–बराबर भूमि पर उत्तर से दक्षिण सडक का निर्माण करे अथवा केवल वादिनी के खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 की पूर्वी सीमा के अन्दर सडक निर्माण नहीं करें।

प्रस्तुत जमाबंदी खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर, वाके ग्राम राधापुरा, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर से साबित है कि उक्त आराजी अकेली वादिया की नही है, जिसमें खातेदार वादीया बिमला देवी, लालाराम, भागीरथ, रामकुमार, प्रभूदेवी, विनोद कुमार मीणा, राजेन्द्र मीणा, सुरेश मीणा, मनोज उर्फ दिनेश व रतनलाल मीणा संयुक्त रूप से खातेदार है। वादीया ने उक्त खसरा में संयुक्त खातेदार विनोद मीणा, राजेन्द्र मीणा, सुरेश मीणा, रतनलाल मीणा, मनोज उर्फ दिनेश मीणा को पक्षकार नहीं बनाया है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादीया संख्या 5 शान्ति देवी उक्त खसरा नम्बर 193 की खातेदार नहीं है, उसके बावजूद भी उसे गलत रूप से पक्षकार बनाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया है और वास्तविक खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया वादीया खसरा नम्बर 193 की अकेली खातेदार नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण के अलावा अन्य भी सह खातेदार है जिन्हें वादीया ने पक्षकार नहीं बनाया है। वादीया उक्त खसरे में संयुक्त खातेदार है। जोकि प्रस्तुत जमाबंदी से साबित है।

यहां विशेष उल्लेख करना आवयश्क है कि वादीया के अलावा अन्य सभी खातेदारों द्वारा उक्त कंकरीट सडक पर डामर डाले जाने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनके द्वारा आमसहमति पत्र निष्पादित कर राज्य सरकार के कार्य में सहयोग करने का वचन दिया है। जोकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 12.09.2018 से साबित है चूकि उक्त आराजी शामलाती संयुक्त अविभाजित भूमि है। *यदि कोई व्यक्ति जिसके डिक्री से प्रभावित होने की संभावना है वाद या अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं हुआ है, तो वाद या अपील केवल उसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने बी. प्रभाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य. 1985 Supp SCC 432, के मामले में निर्धारित किया कि जहां सभी प्रभावित व्यक्तियों को याचिका के पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और उनमें से कुछ केवल शामिल हुए थे।*

इसके अतिरिक्त तहसीलदार आमेर ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है खसरा नम्बर 193 में नक्शा ट्रेस में कटी हुई नहीं है उक्त मौके पर मोरम की कंकरीट रोड बनी हुई है। उपरोक्त विवरण से स्पस्ट है कि खसरा नम्बर 193 की भूमि खातेदारों की शामलाती है। प्रतिवादीगण रोड़ का निर्माण वादीया ने यह साबित नहीं किया वादीया के हिस्से पर प्रतिवादीगण रोड़ का निर्माण कार्य कर रहे है क्योकि उक्त आराजी शामलाती है। वादीया पुष्पा देवी ने अपने बयानो में जाहिर किया है कि वादग्रस्त आराजी पर रोड बनी हुई है। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी शामलाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये है तथा उक्त आराजी शामलाती आराजी है तथा अन्य सहखातेदारो द्वारा सहमति देकर सडक डामरीकरण करने हेतू सहमति दी है। तथा वादीया ने यह कही भी साबित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

...या है वादीगया उक्त आराजी में कौनसा हिस्से पर प्रतिवादीगण सडक निर्माण कार्य कर ...है। फलस्वरूप तनकी संख्या 1 एवं 2 वादीनीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. आया वाद में प्रतिवादी संख्या 5 शान्ति देवी खसरा नम्बर 193 की खातेदार नहीं है जबकि वास्तविक खातेदार बिमला देवी, लालाराम, भागीरथ, रामकुमार, प्रभूदेवी, विनोद, राजेन्द्र, सुरेश, मनोज उर्फ दिनेश, रतन संयुक्त खातेदार है इसलिये वादीया का पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण वाद प्रथम दृष्ट्या खारिज होने योग्य है?

.......प्रतिवादी–1

4. आया नई सडक का निर्माण नहीं किया जा रहा है पूर्व में निर्मित सडक पर कंकरीट, डामर का कार्य किया जा रहा है। इसलिए वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण वाद पत्र खारिज होने योग्य है?

....प्रतिवादी–1

5. आया खसरा नम्बर 193, 194, 195 वाके ग्राम राधापुरा तहसील जालसू में मौके पर ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू जयपुर में कार्य स्वीकृति क्रमांक 400/2010 दिनांकित 29.04.2010 के अनुसार दिनांक 17.05. 2010 से दिनांक 16.09. 2011 तक कंकरीट रोड का नरेगा योजना के तहत निर्माण किया हुआ है। उक्त का केवल डामरीकरण कार्य प्रारंभ करने पर वाद प्रस्तुत किया है इसलिए बिना वाद कारण वाद खारिज किया जावें?

...प्रतिवादी–7. 8. 9

6. आया मिन प्रतिवादी को 80 सी.पी.सी. का नोटिस देने कानूनन मेन्डेटेरी (अनिवार्य) है। जो कि वादी ने नहीं दिया है, अतः वाद खारिज होने योग्य है ?

........प्रतिवादी 7. 8. 9

7. आया वादिनी द्वारा मौके पर बिना कब्जे के कंकरीट रोड व चालू रास्ते पर डामरीकरण रोकने के उद्देश्य से वाद पत्र पेश किया है जबकि लोकहित के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है?

...प्रतिवादी–7. 8. 9

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 3 लगायत 7 एक साथ निर्णित की जा रही हैं। चूकि वादीगण तनकी संख्या 1 एवं 2 साबित करने में असमर्थ रहे है तो स्वतः तनकी संख्या 3 लगायत 7 वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या ... वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। ...नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल ... हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 108 / 2018

वाद प्रस्तुति दिनांक –20.09.2018

1. बिमला देवी पत्नि गंगाधर जाति बागडा ब्राहम्ण आयु 50 वर्ष निवासी ग्रांम बावडी तहसील व ज़िला जयपुर।
2. पुष्पा देवी पत्नी गुलाब चन्द जाति बागडा ब्रहम्ण हाल निवासी ग्राम नई कोठी की ढाणी, चौप तहसील आमेर जयपुर।.

......वादिनी

बनाम

1. श्रीमती छिगनी देवी पत्नि कानाराम
2. लालाराम
3. भागीरथ
4. रामकुंवार

} रामलाल

जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. शांति देवी पत्नी मालीराम
6. प्रभू देवी पत्नि गोपाल

जाति मीणा निवासी ग्रांम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।
8. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत ग्रांमीण जयपुर।
9. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला उपखण्ड जालसू जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादीयागण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ––––
ओहदा ––––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर